

2021

452

सरवर्क

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, बनेड़ा

किस्म मुकदमा	मुकदमा नं. एवं वर्ष	तारीख दायर	ग्राम का नाम	तारीख फैसल	नं. फैसल	तारीख फैशी
शरणा पत्र	363 2021	13-12-21 30-12-21	बनेड़ा			

अनवान

श्री चरणोदा देवी यति बनेड़ा नगरपालिका कार्यालय बनेड़ा बनाम श्री राजेश कुमार जति बनेड़ा
 निवासी बनेड़ा



निगराकार / प्रार्थी / अपी.

अप्रार्थी / रेष्यो.

“खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र”
(राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय
(उप)

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम हरण की
जमाबन्दी सम्वत् 2074-78 से 278
में जसोदादेवी के बजाय अशोदादेवी

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी

दिनांक:-

रिपोर्ट-पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम हरण के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2074-78 के
खाता संख्या 278 में प्रार्थी का नाम जसोदादेवी दर्ज है। जबकि मुताबिक
संलग्न deomaha व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम अशोदादेवी है। जो
सशोधित किया जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

अशोदादेवी
भू.अ.नि. 13/12/21

पटवारी
पटवारी हरण
13/12/21

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

प्रार्थी द्वारा रा.भू.रा.ज. अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर
राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना
पत्र पर रिपोर्ट पटवारी हरण व भू.अ.नि. हरण एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के
आधार पर ग्राम हरण की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 78 की खाता संख्या 278
में प्रार्थी का नाम जसोदादेवी के बजाय अशोदादेवी किये जाने हेतु अभिशंषा की जाती है।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार
वनेडा (मीलवाड़ा)
वनेडा जिला पीलवाड़ा

पु.सं. 369/21
30-12-21

आदेश
ग्राम हरण जमाबन्दी सम्वत् 2074-78
खाता संख्या 278 में दर्ज प्रार्थी का नाम जसोदादेवी के स्थान पर अशोदादेवी

संशोधन के आदेश दिये जाते हैं।

1586
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी वनेडा
प्रशासन गांवों के संग
अभियान-2021